उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)

अभिलेखों की प्राप्ति

प्रस्तुतकर्ता

बृजमोहन सिंह रावत (संयुक्त सचिव)

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

रामनगर (नैनीताल)

अभिलेख

द्वितीय अंकपत्र

द्वितीय प्रमाणपत्र

प्रव्रजन प्रमाणपत्र

अंकपत्र में संशोधन

प्रमाण पत्र में संशोधन

प्रमाण पत्रों का सत्यापन

अस्वामिक प्रमाणपत्र

सन्निरीक्षा आवेदन

उ0 पु0 की छाया प्रति

द्वितीय अंकपत्र तथा द्वितीय प्रमाणपत्र निम्न स्थिति में दिया जायेगा।

मूल अंकपत्र/प्रमाणपत्र के/की–

1– खो जाने की दशा में।

2– नष्ट हो जाने की दशा में।

3– खराब हो जाने की दशा में।

4– विरूपित हो जाने की दशा में।

5– कट फट जाने की की दशा में।

6– प्रविष्टियां धूमिल हो जाने की दशा में।

7– अस्वामिक होने पर नष्ट कर दिये जाने की दशा में

नोट– बिन्दु 3,4,5 तथा 6 की स्थिति में मूल अंकपत्र/ प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

अंक पत्र (द्वितीय प्रतिलिपि) बनवाने हेतु अभिलेख, जो प्रस्तुत करने आवश्यक हैं :—

1. अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र।
2. धनराशि जमा रूपया 50.00 (रूपया पचास) मात्र का चालान निम्न लेखाशीर्षक में मूलरूप में संलग्न हो।

लेखाशीर्षक —

0202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति

01—सामान्य शिक्षा

102—माध्यमिक शिक्षा

02—बोर्ड परीक्षा का शुल्क।

प्रमाण पत्र (द्वितीय प्रतिलिपि) बनवाने हेतु अभिलेख, जो प्रस्तुत करने आवश्यक हैं :—

1. निर्धारित आवेदन पत्र प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित हो।
2. धनराशि जमा रूपया 100.00 (रूपया एक सौ) मात्र का चालान निम्न लेखाशीर्षक में मूलरूप में संलग्न हो।

लेखाशीर्षक —

0202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति
01—सामान्य शिक्षा
102—माध्यमिक शिक्षा
02—बोर्ड परीक्षा का शुल्क।

3. शपथ पत्र रूपया 10.00 (रूपया दस) मात्र के निर्धारित प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर। (अभ्यर्थी की आयु 20 वर्ष से कम होने पर उनके पिता/अभिभावक की ओर से बनवाया जायेगा।) (प्रारूप संलग्न है)
4. प्रमाण पत्र खो जाने सम्बन्धी विज्ञप्ति, समाचार पत्र में मूलरूप में पूरे पृष्ठ सहित संलग्न हो।

(समाचार पत्र की कटिंग/साप्ताहिक समाचार पत्र/स्थानीय समाचार पत्र/सांध्य समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना मान्य नही होगी। प्रमाण—पत्र खोने की सूचना किसी वृहद् रूपसे प्रसारित दैनिक समाचार—पत्र के प्रातः संस्करण में विज्ञापित कराकर उसकी एक पूरी प्रति संलग्न करें।

विषय संख्या _____

प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन–पत्र

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

द्वारा–प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या

_____

_____

महोदय,

निवेदन है कि मुझे मेरे हाई स्कूल / इण्टरमीडिएट मुख्य परीक्षा 201 _____ के प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें। पूर्ण विवरण निम्नलिखित है :–

इस समय मैं _____ में निवास कर रहा हूँ :–

1. पूरा नाम (हिन्दी में) _____ (अंग्रेजी में) _____
2. पिता का नाम (हिन्दी में) _____ (अंग्रेजी में) _____
3. अनुक्रमांक _____ 4. परीक्षा का नाम _____
5. उत्तीर्ण होने का वर्ष _____ 6. जन्म–तिथि _____
7. संस्थागत / व्यक्तिगत _____ 8. पिता जीवित है अथवा नहीं _____

2. नियमानुसार वांछित निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं :–

(1) रु0 10/– का शपथ–पत्र जो "प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट / नोटरी" जिला _____ द्वारा प्रमाणित है।

(2) समाचार–पत्र की एक प्रति

(1) दैनिक समाचार–पत्र का नाम _____
(2) सूचना प्रकाशित करने की तिथि _____
(3) जिला _____ प्रदेश _____

3. ट्रेजरी चालान सं0 _____ दिनांक _____ रु0 _____ जमा करने का स्थान _____

4. छात्र का हस्ताक्षर _____
पूरा पता _____

दिनांक _____

5. पिता अथवा पिता के जीवित न होने पर संरक्षक का हस्ताक्षर _____
पूरा पता _____

दिनांक _____

(प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के लिए)

पृष्ठांकन संख्या _____ दिनांक _____

सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल को अग्रसारित। मैं संतुष्ट हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक वही व्यक्ति है, जिसको मौलिक प्रमाण–पत्र _____ परीक्षा सन् 201 दिया गया था।

दिनांक _____

प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर _____
कालेज की मुहर _____

सेवायोजक के लिए

पृष्ठांकन संख्या ———————— दिनांक ————————

सचिव, उ0 वि0 शि0 प0, रामनगर, नैनीताल को इस आशय से अग्रसारित है कि मैं उपर्युक्त विवरण से संतुष्ट हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे कार्यालय अभिलेखों एवं सेवा–पुस्तिकाओं में श्री ———————— आत्मज श्री ———————— की जन्म–तिथि (शब्दों में) ———————— (अंकों में) ———————— है। सेवा–पुस्तिका के जन्म–तिथि अंकित पृष्ठ की प्रमाणित फोटो स्टेट कापी संलग्न है। श्री ———————— हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा, वर्ष ———— अनुक्रमांक ———————— के प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि देने हेतु संस्तुति करता हूँ।

सेवायोजक के हस्ताक्षर,
(सील)।

शपथ–पत्र का प्रारूप

मैं (पूरा नाम) ———— आत्मज/आत्मजा (पूरा नाम) ———— शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरा ———— मुख्य/पूरक ———— परीक्षा सन् 201 अनुक्रमांक ———— का प्रमाण–पत्र वास्तव में* ———— गया है और मेरी यह घोषणा सत्य है। इसे मैंने किसी को दिया नहीं है और न कहीं जमा किया है।

मैंने ———— परीक्षा संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में विद्यालय/केन्द्र ———— से उत्तीर्ण की है।

मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरी आयु 20 वर्ष से अधिक है।

यदि मेरा मौलिक प्रमाण–पत्र मिल जायेगा तो द्वितीय प्रतिलिपि परिषद् को लौटा दूँगा/दूँगी।

मैं सरकारी/अर्द्ध सरकारी/प्राइवेट संस्था में सेवारत हूँ/सेवा निवृत्त हो चुका हूँ/नहीं हूँ। अपना आवेदन–पत्र समस्त वांछित संलग्नकों सहित अपने सेवायोजक से जन्म–तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करके सेवा–पुस्तिका के जन्म–तिथि अंकित पृष्ठ की प्रमाणित फ्रोटो–स्टेट कापी संलग्न करके सेवायोजक के माध्यम से उनकी आख्या व संस्तुति सहित प्रेषित कर रहा हूँ।

परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी का हस्ताक्षर

पद व पूरा पता ————

————

मैं प्रमाणित करता हूं कि यह वही व्यक्ति है, जिन्हें मौलिक प्रमाण–पत्र दिया गया था।

किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का हस्ताक्षर

पद व पूरा पता ————

————

विधिवत् प्रमाणित की मुहर

† प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी का हस्ताक्षर

ऑफिस सील

l= 2015&2016 ls izek.ki= lg vadi=
dh O;oLFkk izkjEHk dh xbZ gS] vr%
izek.ki= lg vadi= dh f}rh; izfrfyfi
izkIr djus gsrq :i;k 150 dk pkyku
yxkuk gksxkA

3– हाईस्कूल प्रमाण पत्र सह अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि हेतु वांछित प्रपत्र निम्नवत् है– (वर्ष-2015)

क– निर्धारित आवेदन पत्र **(खोया–पाया)**

ख– शपथ पत्र रू0 10/–के स्टाम्प पेपर पर **(अभ्यर्थी की आयु 20 वर्ष से कम होने पर उनके अभिभावक की ओर से बनवाया जायेगा)**

ग– रू0 150/– चालान द्वारा जमाकर मूल चालान की प्रति।

घ–प्रमाण पत्र खो जाने संबन्धी सूचना राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञाप्ति कर उसका पेज मूल रूप में संलग्न हो।

माइग्रेशन या प्रवजन प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अभिलेख, जो प्रस्तुत करने आवश्यक हैं :—

1. अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र।
2. धनराशि जमा रूपया 50.00 (रूपया पचास) मात्र का चालान निम्न लेखाशीर्षक में मूलरूप में संलग्न हो।

लेखाशीर्षक —

0202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति

01—सामान्य शिक्षा

102—माध्यमिक शिक्षा

02—बोर्ड परीक्षा का शुल्क।

संशोधन हेतु प्रस्तुत करने की अवधि

- परीक्षार्थी को अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र प्रदान कराने से पूर्व उनकी प्रविष्टियों की प्रधानाचार्य अपने स्तर से जांच कर लें कि सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। यदि कोई त्रुटि दृष्टिगत होती है तो उसे तत्काल आवश्यक अभिलेखों के साथ परिषद् कार्यालय को पंजीकृत डाक अथवा वाहक के द्वारा प्रेषित करें।
- परीक्षार्थी को अंक पत्र प्रदान करने के उपरान्त त्रुटि दृष्टिगत होती है तो अंकपत्र अथवा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के दो वर्ष के अंतर्गत संशोधन हेतु अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- दो वर्ष के उपरान्त यदि संशोधन हेतु अंकपत्र अथवा प्रमाण पत्र भेजे जाने पर प्रधानाचार्य द्वारा विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए आख्या प्रस्तुत करनी होगी।
- 02 वर्ष की अवधि के पश्चात संशोधन कराने पर रुपया 100 का चालान लगाना होगा। वर्तमान वर्ष के संशोधन हेतु चालान लगाने की आवश्यकता नहीं है।

हाईस्कूल **अभिलेख सम्बन्धी सूचनायें**

1– हाईस्कूल परीक्षा के अंक पत्र/प्रमाण पत्रों में त्रुटियों के संशोधन हेतु निम्नांकित अभिलेख वांछित है–

छात्र/छात्रा की माता/पिता का नाम संशोधन हेतु–

क– संबधित विद्यालय के प्रधानाचार्य का पत्र ।

ख– शुद्धिपत्र (परिशिष्ट–ख)

ग– कक्षा –5 की टी सी खण्डशिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

घ– कक्षा –10 की टी सी मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

ड– नाम संशोधन की दशा में रू0 100/– का चालान द्वारा जमाकर एक प्रति मूलरूप में संलग्न किया जाय ।

च– संबन्धित वर्ष की हस्तलिखित नामावाली/डाटासीट की सत्यापित छाया प्रति।

छ– त्रुटि किस स्तर पर हुई है, तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण (प्रधानाचार्य द्वारा)

ज– यदि प्रकरण 2 वर्ष से पुराना हो तो विलम्ब से प्रकरण संशोधन हेतु प्रेषित किये जाने का औचित्य (प्रधानाचार्य द्वारा)

झ–कक्षा–9 का पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।

2– छात्र/छात्रा की जन्मतिथि संशोधन हेतु–

क– संबधित विद्यालय के प्रधानाचार्य का पत्र ।

ख– शुद्धिपत्र (परिशिष्ट–ख)

ग– कक्षा –5/कक्षा–10 की टी सी खण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

ड– संबन्धित वर्ष की हस्तलिखित नामावाली/डाटासीट की सत्यापित छाया प्रति।

च– मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जन्मतिथि संस्तुति प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के संबन्ध में)

छ– त्रुटि किस स्तर पर हुई है, तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण (प्रधानाचार्य द्वारा)

ज– यदि प्रकरण 2 वर्ष से पुराना हो तो विलम्ब से प्रकरण संशोधन हेतु प्रेषित किये जाने का औचित्य
(प्रधानाचार्य द्वारा)

झ–कक्षा–9 का पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।

प्रमाणपत्र में गलत फोटो अथवा फोटो न छपने की दशा में

- यदि किसी छात्र/छात्रा को फोटो प्रमाणपत्र मे नहीं छपा है अथवा गलत फोटो छपा है तो परीक्षार्थी द्वारा प्रधानाचार्य के माध्यम से आवेदन करना होगा जिसमें प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित एक फोटो चस्पा करेगा तथा प्रमाणित फोटो की दूसरी अप्रमाणित फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जायेगी। फोटो के पृष्ठ भाग में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अवश्य लिखें।

प्रमाण पत्रों में नाम परिवर्तन

- विशेष परिस्थितियों में परिषद् परीक्षार्थी द्वारा विनियम की धारा 17 (8) में निर्धारित शुल्क देने पर प्रमाणपत्र में परीक्षार्थी के नाम में परिवर्तन कर सकता है।

  परीक्षार्थी के नाम में निम्न कारणों के होने पर ही परिवर्तन किया जायेगा।

- नाम में भद्दापन।
- नाम से अपशब्द की ध्वनि निकलना।
- नाम असम्मानजनक प्रतीत होना।
- परिषद् द्वारा परीक्षार्थी के नाम के पहले या बाद में उपनाम, धर्म, जाति,उपाधि अथवा सम्मानजनक शब्द जोडने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन की विधि

- आवेदन पत्र प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।
- परीक्षा वर्ष की 31 मार्च से तीन वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
- आवेदक द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा यथा विधि प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। जिसमें नाम परिवर्तन के वैध कारण परीक्षार्थी द्वारा दिये जाएंगे।
- नाम परिवर्तन हेतु परीक्षार्थी जहॉ निवास करता है वहॉ के किसी दैनिक समाचार पत्र में तीन विभिन्न तिथियों के संस्करणों में नाम परिवर्तन को विज्ञापित करायेगा। तथा सम्बन्धित तिथियों के समाचार पत्रों की प्रतियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

जन्म–तिथि संशोधन करने हेतु आख्या एवं संस्तुति प्रदान करने का प्रपत्र

मैंने हाई स्कूल परीक्षा, वर्ष _____ अनुक्रमांक के परीक्षार्थी श्री/श्रीमती/कुमारी _____ आत्मज/आत्मजा श्री _____ की अंतिम/संस्था जहां से उसने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, के मूल प्रवेश आवेदन–पत्र उसी विद्यालय की मूल छात्र पंजिका तथा उस अंतिम संस्था में प्रस्तुत उसके पूर्व वाली संस्था की छात्र पंजिका की व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली है। परीक्षार्थी के सम्बन्धित मूल अभिलेखों में किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग नहीं है। विद्यालय के मूल अभिलेखों के अनुसार उसकी शुद्ध जन्म–तिथि _____ से _____ संशोधित करने की संस्तुति करता हूं।

जिला शिक्षा अधिकारी

तिथि

मुहर

परिशिष्ट (क)

अत्यावश्यक / सर्वोपरि प्राथमिकता

केन्द्र / विद्यालय की संख्या }_____

इस रसीद को भरकर तुरन्त भेजिए। प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति की सूचना अधिकतम एक माह के अन्दर अवश्य भेज दी जाय।

सेवा में,

उप सचिव, इण्टर प्रमाण–पत्र अनुभाग,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक _____ दिनांक _____

आपके पत्रांक उ0 वि0 शि0 प0/प्रमाण–पत्र/हाई/इण्टर/ _____ दिनांक _____ एवं रजिस्ट्री संख्या _____, दिनांक _____ द्वारा भेजे गये आज दिनांक _____ की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा, 200 _____ के प्रमाण–पत्र प्राप्त हुए। बीजक की एक प्रति संलग्न है।

भवदीय,

विद्यालय का नाम –

प्रधानाचार्य

✓ परिशिष्ट (ख)

(200 की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के भेजे गए प्रमाण–पत्रों में निकली त्रुटियों का विवरण)

टिप्पणी– परीक्षार्थी के नाम एवं पिता के नाम में त्रुटि पाई जाने पर वांछित संशोधन की पुष्टि में जिला शिक्षा अधिकारी/प्रादेशिक बालिका शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित छात्र–पंजी अवश्य संलग्न करें तथा उसका उल्लेख स्तम्भ 6 में अवश्य करें।

क्रमांक	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	प्रमाण–पत्र में अंकित प्रविष्टियां	प्रमाण–पत्र में वांछित संशोधन	वांछित संशोधन की पुष्टि में संलग्न प्रपत्र का विवरण	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

संलग्न– प्रमाण–पत्र, छात्र–पंजी, अन्य प्रपत्र।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
मुहर

प्रमाण पत्रों का सत्यापन

- किसी भी सेवायोजक द्वारा परीक्षार्थी के प्रमाणपत्र परिषद् कार्यालय को सत्यापन हेतु प्रेषित कर सकता है। सत्यापन का कार्य पूर्णतः गोपनीय कार्य है तथा इसके सम्बन्ध में सूचना परीक्षार्थी को प्रदान नहींकी जाती अपितु यह सीधे उस संस्था को प्रदान की जाती है जिसके द्वारा उसे मांगा गया हैं।
- सत्यापन हेतु परीक्षार्थी द्वारा किये गये किसी भी अनुरोध को कदापि स्वीकार नही किया जायेगा।

अस्वामिक प्रमाणपत्र

- ऐसे प्रमाणपत्र जो परीक्षाफल घोषित करने के बाद विद्यालय को प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें परीक्षार्थी द्वारा 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्यालय से प्राप्त नहीं किया है।
- विद्यालय ऐसे प्रमाणपत्रों को 5 वर्ष बीत जाने के बाद परिषद् कार्यालय को वापस भेज देगा तथा छात्र को परिषद् निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही उसे प्रमाणपत्र देगा।
- अस्वामिक प्रमाणपत्रों को 20 वर्ष की अवधि के उपरान्त परिषद् द्वारा नष्ट कर दिया जायेगा। यदि उसके बाद भी कोई परीक्षार्थी अपना प्रमाणपत्र चाहता है तो उसे उक्त प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि हेतु नियमानुसार आवेदन करना होगा।

सन्निरीक्षा कराने हेतु आवश्यक शुल्क व पत्रजात जो प्रस्तुत करने आवश्यक हैं :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जो प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित हो।
2. धनराशि जमा रूपया 100.00 (रूपया एक सौ) मात्र का चालान, प्रति विषय की दर से निम्न लेखाशीर्षक में मूलरूप में संलग्न हो।

लेखाशीर्षक –

0202–शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति

01–सामान्य शिक्षा

102–माध्यमिक शिक्षा

02–बोर्ड परीक्षा का शुल्क।

अति महत्वपूर्ण

उत्तर पुस्तिका में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन विहित विनियमों के अध्याय 12 के विनियम 16 ड; के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा जिसमें **उल्लिखित किया गया है कि सन्निरीक्षा से तात्पर्य उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन नहीं है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिका में यह देखा जायेगा कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में क्या अलग–अलग प्रश्न में दिये गये अंकों का योग करने उन्हें अग्रहीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की त्रुटि नहीं हुई है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि पुर्नमूल्यांकन नही किया जायेगा।**

सन्निरीक्षा–नवीन संशोधन वर्ष 2015 से लागू

यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के सही उत्तर पर शून्य अंक दिये गये हैं तो उस प्रश्न का विषय विशेषज्ञ से पुनर्मूल्यांकन कराया जायेगा और इस हेतु अपर सचिव, परिषद् (पदेन) की अध्यक्षता में विषय विशेषज्ञों की एक समिति बनायी जायेगी, जो ऐसे प्रकरणों की गहन समीक्षा कर प्रकरण का निस्तारण करेगी।

मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1– परीक्षार्थी का नाम– .....

2– माता का नाम.....

3– पिता का नाम–.....

4– कक्षा तथा वर्ष–.....

5– अनुक्रमांक–.....

6– विषय (जिसकी उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करनी है) 1– .....2– .....3– ..... 4– .....5– .....
.....

7–पत्र व्यवहार का पता–.....
.....
..... मोवाइल नं0–.....

8– शुल्क का विवरण–

चालान संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	धनराशि

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....
सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता /करती हूॅ कि मै परिषद् से प्राप्त अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका / उत्तरपुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा किये गये मूल्यांकन के विषय में परिषदीय विनियमों में विहित प्राविधानों का पालन करूॅगा/करूॅगी तथा उक्त उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकाओं को किसी भी प्रकार से प्रकाशित किये जाने हेतु उपयोग नहीं करूॅगा /करूॅगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर–
नाम–
दिनांक–

मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया

1– परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त उपरोक्त प्रारूप में आवेदन करना होगा।

2– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 217/XXIV-5/2013/2(17)/ 2008 देहरादून दिनांक 12 जुलाई 2013 के द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति हेतु रू0 400=00 प्रति विषय शुल्क का निर्धारण किया गया है।

3– मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति चाहने हेतु परीक्षार्थी को लेखा शीर्षक–**0202 –शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति, 01– सामान्य शिक्षा, 102– माध्यमिक शिक्षा, 02– बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क** में प्रत्येक विषय हेतु रू0 400=00 का ट्रेजरी चालान लगाना होगा।

4– परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रू0 400=00 प्रति विषय की दर से चालान लगाकर उसकी मूल प्रति संलग्न कर स्वयं अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर जिला नैनीताल को परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त प्रेषित करना होगा।

5–परिषदीय विनिष्टीकरण नियमावली के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं की सभी उत्तरपुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषणा के 6 माह अथवा सन्निरीक्षा परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त विनिष्ट कर दी जाती हैं। विनिष्टीकरण के उपरान्त उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति चाहने हेतु किये गये किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

6– उपरोक्त संलग्नकों के न होने अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिये जायेगे। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

7– उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति का किसी व्यावसायिक उपयोग अथवा प्रकाशन निषिद्ध होगा।

8– किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए कार्यक्षेत्र माननीय न्यायालय रामनगर जिला नैनीताल होगा।

Thanks